



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु (चूरु)

(पीठासीन अधिकारी -सुनील कुमार I आर.ए.एस.)

अपील संख्या:-2024 / 04

दर्ज तिथि:-30.10.2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रेवन्तमल आदि		राजस्थान सरकार
जरिये अधिवक्ता श्री धन्नाराम सैनी		जरिये अधिवक्ता पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-21 नियम-11
सिविल प्रक्रिया संहिता-1908
निर्णय तिथि:-06.04.2026

-:निर्णय:-

आज यह पत्रावली प्रार्थना-पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-21 नियम-11 के अन्तर्गत बाबत निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृत्तान्त इस प्रकार है कि प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा इजराय प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना-पत्र तथा पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश दिनांक 05.10.2023 की प्रभावी क्रियान्विति हेतु राजस्व स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित है। यह भी स्पष्ट है कि अन्तिम आदेश के अनुसार प्रस्तावित रास्ते का अंकन, नक्शा तरमीम, मुआवजा राशि से सम्बन्धित कार्यवाही एवं आवश्यक राजस्व प्रविष्टियाँ तहसीलदार, चूरु के स्तर पर की जानी है। अतः इजराय प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरु को निर्देशित किया जाता है कि

इस न्यायालय के अनुवान संख्या 43/2023 अन्तर्गत धारा 131, 132 एल. आर. एक्ट अनुवान मगनीराम आदि आदेश दिनांक 05.10.2023 के आलोक में, विधि व नियमानुसार आवश्यक जांच कर, प्रस्तावित रास्ते के अंकन, नक्शा तरमीम एवं संबंध राजस्व प्रविष्टियों के सम्बन्ध में पत्रावली को विधिवत् निस्तारित करे। इजराय पत्रावली नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार, चूरु को भिजवाई जावे।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.04.2026 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार-I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरु (चूरु)

